

राजस्थान सरकार
पर्यावरण विभाग

311

क्रमांक : प. 12(3)/पर्या/2019/पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 21-08-19

संशोधित कार्यालय आदेश

प्रकरण संख्या 606/2018 में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2019 की पालना में श्री दीपक माहेश्वरी माननीय पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के आदेश दिनांक 31.01.2019 के द्वारा किया गया था। उक्त समिति का कार्यकाल इस विभाग के आदेश क्रमांक प.12(3)/पर्या/2019/पार्ट-1 दिनांक 21.08.2019 के द्वारा आगामी 06 माह के लिए बढ़ाया गया है। 06 माह का कार्यकाल आदिनांक 21.08.2019 से 20.02.2020 तक रहेगा। उक्त आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मोगाली सेन)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
1/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, जयपुर।
2. श्री दीपक माहेश्वरी, पूर्व न्यायाधीश एवं अध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव पर्यावरण विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव पर्यावरण विभाग, जयपुर।
5. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
1/

21-8-19

जरी
21/8/19